

वर्ष 2023 में IPC के तहत 86% अपराध सुलझे

चर्चा में क्यों?

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, उत्तराखण्ड में वर्ष 2023 में [भारतीय दंड संहिता](#) के तहत कुल 15,797 अपराध के मामले दर्ज किये गए हैं, जो वर्ष 2022 की तुलना में 752 कम हैं, जिसमें 16,549 मामले दर्ज किये गए थे।

नोट:

भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसका चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम वधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।

मुख्य बढि:

- वर्ष 2023 में सभी पंजीकृत अभियोगों में त्वरति कार्यवाही करते हुए 86% से अधिक मामलों का अनावरण कर 61% से अधिक अभियुक्तों के वरिद्ध कार्यवाही की गयी।
- वर्ष 2023 में कुल 432 वांछति अपराधी गरिफ्तार किये गए।
- राज्य पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत गरिफ्तार अभियुक्तों में से 30 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जति सम्पत्ति 186 करोड ज़बतीकरण की कार्यवाही की गयी।
- इसके अलावा वर्ष 2022 में गुण्डा एक्ट, 1982 के अन्तर्गत 262 अपराधियों के वरिद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी की गयी।
- वर्ष 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कुल 1,649 लोगों को गरिफ्तार किया गया और 27 करोड रुपए की दवाएँ ज़बत की गईं।
- उत्तराखण्ड पुलिस की अग्नशिमान इकाई ने कुल 1,381 दुर्घटनाओं को संबोधति किया, जिसमें 318 मानव जीवन और 121 करोड रुपए की संपत्ति बचाई गई।
- पुलिस ने वभिन्न उल्लंघनों के लिये वाहनों पर कुल 6.7 लाख चालानों में 37.06 करोड रुपए जुर्माना वसूला गया।